लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./एफ/58/2018/ 1237 भोपाल,दिनांक 17.7.18

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश।

विषयः–युक्तियुक्तकरण अंतर्गत नवीन पदस्थापना स्थल पर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत युक्तियुक्तकरण के आदेश जारी किये गये है। आदेश में सम्मिलित शिक्षक/अध्यापक नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थित कराने के निर्देश जारी किये गये थे। अभी भी शत प्रतिशत शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति नवीन पदस्थापना स्थलों पर पदभार ग्रहण नही कर सके है। जिन शिक्षकों/अध्यापकों द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण नही किया गया है उन सभी शिक्षकों/अध्यापकों की सूची एजुकेशन पोर्टल के पे–रोल सिस्टम से प्राप्त कर आपकी ओर आपके ई–मेल आई.डी. पर भेज दी गई है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि सूची का अवलोकन कर अपने जिले से संबंधित शिक्षक/अध्यापक संवर्ग को तत्काल पदांकित संस्था में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें तथा उनके द्वारा नवीन संस्थाओं में पदभार ग्रहण क्यों नही किया गया है ? तत्संबंध में सभी शिक्षक/अध्यापकों की जानकारी कारण सहित अनिवार्य रूप से दिनांक 20.07.2018 तक शिक्षाकर्मी के ई–मेल आईडी–Shkshakarmi-dpi-mp पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृष्ठाक्रमांक/क्रमांक/शि.क./ /2018/ 1238 भोपाल,दिनांक 17.7.18

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

Desktop/Chourgade Sir 2018/Letter